न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2017RAAJu075RLR003 Subhan Khan Vs State

1. सुभान खां पुत्र रिडमल खां मुसलमान सिंधी
2. जले खां पुत्र रिडमल खां मुसलमान सिंधी
3. हैदर खां पुत्र रिडमल खां मुसलमान सिंधी
4. जगमाल खां पुत्र रिडमल खां मुसलमान सिंधी
5. रहीमखां पुत्र बागे खां के कायममुकामान सिंधी --
   a. बच्चू खॉ पुत्र रहीम खॉ सिंधी
6. मुस्से खां पुत्र दीनु खां मुसलमान सिंधी
7. नूरे खां पुत्र फरीद खां मुसलमान सिंधी
8. फते खां पुत्र फरीद खां मुसलमान सिंधी

सभी निवासीगण विरमपुरा (साबरसर)
तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

----- **अपीलाण्ड्स**

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर
2. ब्लाक शिक्षा अधिकारी प.सं. शेरगढ, जिला जोधपुर
3. ग्राम पंचायत, साबरसर जरिये ग्राम पंचायत साबरसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर

----- **रेस्पो.**

दिनांक : 25 अक्टू., 2019

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध आदेश
जिला कलेक्टर जोधपुर दिनांक 21 जून 2002

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलाण्ड्स
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्टू., 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के तहत पारित आदेश कमांक प-12(3-954)राज/आवं/प्रा.गा.क.स./अभि/2001/21235 दिनांक 21 जून 2002 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अदालत हाजा में दिनांक 15 फरवरी 2017 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 14 मई 1999 को ग्राम मीरपुरा (साबरसर) पटवार क्षेत्र सांई के खसरा संख्या 1819 में से रकबा 2 बीघा सुभान खां इत्यादि, खसरा संख्या 1824 का रकबा 2 बीघा फरीद खां इत्यादि एवं खसरा संख्या 1821 का रकबा 2 बीघा सुभान खां इत्यादि द्वारा एक ही दिन जरिये समर्पणनामा बिना किसी प्रतिफल के तहसीलदार शेरगढ के समक्ष राज्य सरकार के पक्ष में खसरा संख्या 1821 में स्कूल, टांका, रसोईघर हैडपम्प हेतु किया गया और इसी प्रकार खसरा संख्य 1819 व 1824 राजस्व ग्राम एवं आंगनवाडी केन्द्र, हॉस्पीटल, हैण्डपम्प हेतु समर्पित की गयी थी, मगर जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपने आवण्टन आदेश दिनांक 21 जून 2002 के द्वारा उक्त भूमि के खसरा नम्बर 1819/1 व 1824/1 राजीव

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के नाम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शेरगढ के नाम निः शुल्क आवण्टन कर दी, जबकि खसरा संख्या 1821/1 में ही 02 बीघा में स्कूल बनी हुई है और बाकी बची 4 बीघा जो विवादित खसरा संख्या 1819/1 रकबा 2 बीघा सुभानखां आदि व 1824/1 फरीद खां अदि रकबा 2 बीघा का उपयोग गलत तरीकों से आवण्टन कर दी गयी, जबकि मौके पर खसरा संख्या 1824/1 में कुआं बना हुआ है एवं मौके पर तरमीम नहीं है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1819 मौके पर खाली है तथा खसरा संख्या 1821/1 का रकबा 2 बीघा जिसे छोडकर खसरा संख्या 1819/1 व खसरा संख्या 1824/1 की भूमि पुनः दो-दो बीघा ग्राम पंचायत (रेस्पो. संख्या तीन) के नाम दर्ज की जावे व जिला कलेक्टर जोधपुर का आदेश निरस्त किया जावे क्योंकि अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त भूमि का समर्पण ग्राम पंचायत के कार्य हेतु किया गया था। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं हो पायी, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स पक्षकार नहीं थे और न ही उन्हें किसी प्रकार से कोई सूचना दी गयी थी। इस कारण समुचित समय में अपीलाधीन आदेश बाबत उन्हें कोइ जानकारी नहीं हो पायीं। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम स्वीकार किया जावे तथा मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिसम्मतः पारित किया गया है। भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में शर्तरहित होता है और समर्पण के बाद समर्पित भूमि जब राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के पक्ष में सिवायचक दर्ज हो जाती है तो उसका किस प्रकार सार्वजनिक हित में उपयोग किया जाना है, यह राज्य सरकार को ही देखना होता है, समर्पणकर्ता उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अतः वादग्रस्त भूमि का किसको किस उपयोग के लिए आवण्टन किया जाना है, इस संबंध में अब अपीलाण्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावें।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के तहत किया गया है। उक्त ***नियम, 1963 के नियम 2(a) के अनुसार प्राथमिक स्कूलों/राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए भूमि आवण्टन का अधिकतम रकबा 2 एकड अर्थात 5 बीघा भूमि (छात्रावास भवन, खेल-मैदान सहित) है तथा नियम 4 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी आवण्टन हेतु सक्षम अधिकारी है। इससे अधिक भूमि आवण्टन करने हेतु नियम 4 के परन्तुक के अनुसार राज्य सरकार ही सक्षम है।*** अदालत हाजा विद्वान राजकीय अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि भूमि का समर्पण राज्य सरकार के पक्ष में शर्तरहित होता है और समर्पण के बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समर्पित भूमि जब राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज हो जाती है तो उसका किस प्रकार सार्वजनिक हित में उपयोग किया जाना है, यह राज्य सरकार को ही देखना होता है, समर्पणकर्ता उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अतः वादग्रस्त भूमि का किसको किस उपयोग के लिए आवण्टन किया जाना है, इस संबंध में अब अपीलाण्ट को हस्तक्षेप करने का कोई अखित्यार नहीं है। मगर साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान जिला कलेक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये **राजीव गांधी पाठशाला हेतु** राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के **नियम 2(ए) में वर्णित अधिकतम 2 एकड यानि 5 बीघा भूमि से अधिक यानि कुल 6 बीघा भूमि का** आवण्टन किया गया है, (जिसकी पुष्टि अपीलाधीन आदेश के अनुसरण में ग्राम मीरपुरा के भरे गये म्युटेशन संख्या 34 दिनांक 10 अक्तूबर 2003 व राजस्व रिकार्ड ग्राम वीरमपुरा की जमाबंदी संवत 2069-2073 से भी होती है) जिसके लिए राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति नहीं ली गयी है। ऐसी स्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक एक बीघा भूमि का किया गया आवण्टन बहाल रखा जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जून 2002 से रेस्पो. संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेज़ों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आवण्टन) नियम, 1963 के नियम 2(ए) में वर्णित 2 एकड यानि 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बीघा की अधिकतम सीमा तक का आवण्टन बहाल रखते हुए उससे एक बीघा अधिक भूमि का किया गया आवण्टन निरस्त किया जाता है। इसी अनुरूप अपीलाधीन आदेश संशोधित किया जाता है। तहसीलदार शेरगढ को तद्नुसार ग्राम वीरमपुरा के खसरा संख्या 1819/1 में से एक बीघा भूमि जो मौके पर खाली पडी है, का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में राज्य सरकार के खाते में सिवाय चक के रूप में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 25/X/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर